न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अल्मोड़ा।
उपस्थित–श्री मलिक मज़हर सुलतान, एच0जे0एस0।

CNR No. UKAL010003332022

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–106 वर्ष 2022

जीवन सिंह पुत्र शेर सिंह बिष्ट,
निवासी ग्राम उज्यौला, पो0 भटखोला,
तहसील लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा।

.....प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तराखण्ड राज्य

मुकदमा अपराध संख्या–24 वर्ष 2018
अन्तर्गत धारा–409, 420, 467, 471, 120बी भा0दं0सं0
चालानी थाना–लमगड़ा।

उपस्थितः–अभियुक्त की ओर से विद्वान अधिवक्ता–मो0 इमरोज।

अभियोजन की ओर से– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) श्री पी0एस0 कैड़ा।

10–08–2022

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अभियुक्त जीवन सिंह द्वारा थाना लमगड़ा के मुकदमा अपराध सं0–24 सन् 2018, अन्तर्गत धारा–409, 420, 467, 471, 120बी भा0दं0सं0 में जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थना–पत्र में कथन किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त मामले में जिला कारागार में तीन साल से निरूद्ध है। उक्त मामले में प्रार्थी आरोपित है तथा उक्त मामले में आरोप–पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा चुका है। अभियुक्त जिस मामले में आरोपित है उक्त मामले में 30 से अधिक गवाहों की प्रतिपरीक्षा हो चुकी है एवं मामले से सम्बन्धित तथ्यों के गवाहों का साक्ष्य एवं प्रतिपरीक्षा सम्बन्धित न्यायालय में की जा चुकी है। जिससे इस बात का भय भी खत्म हो जाता है कि प्रार्थी/अभियुक्त साक्ष्यों को खुर्द–बुर्द कर सकता है। उक्त मामले का विचारण काफी लम्बे समय से सम्बन्धित न्यायालय में विचाराधीन है। दं0प्र0सं0 की धारा–437(6) के तहत कोई भी विचाराधीन बंदी का विचारण अभियोजन साक्ष्य शुरू होने के 60 दिन के अन्दर पूरा हो जाना चाहिए, यदि नहीं होता है तो सम्बन्धित

न्यायालय उसे जमानत पर रिहा कर सकती है। उपरोक्त मामले में दं0प्र0सं0 की धारा–437(6) का उल्लंघन हो रहा है और प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत प्रदान नहीं की जा रही है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं यू0टी0आर0सी0 के द्वारा समय समय पर विचाराधीन बंदियों की रिहाई के लिए दिशा–निर्देश जारी किये गये हैं। अतः अभियुक्त को जमानत पर रिहा कर दिया जाये।

3. अभियोजन द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए मामले की विवेचक की लिखित आपत्ति कागज सं0–6ख दाखिल की गई है, जिसमें जमानत का विरोध करते हुए कहा गया है कि वादी मुकदमा श्री संदीप नैनवाल पुत्र श्री चन्द्र शेखर नैनवाल सचिव बहुउद्देश्यीय प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति मोतिया पाथर द्वारा थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 08.07.2018 को थाना लमगड़ा में मु0अ0सं0–24/2018 धारा–409, 420, 467, 471 भा0दं0सं0 बनाम जीवन सिंह बिष्ट तत्कालीन कैशियर व ममता शैलेश शाखा प्रबन्धक अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में वादी मुकदमा द्वारा आरोप लगाया गया था कि अभियुक्तगण द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–2018 में अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लि0 लमगड़ा में जमा की गयी सरकारी कृषि ऋण वसूली के कुल 44,85,400/–रू0 को बैंक कैशियर एवं शाखा प्रबन्धक द्वारा बैंक में जमा किये गये धन को सम्बन्धित खाते में जमा नहीं करना एवं बेईमानी व धोखाधड़ी की नीयत से उक्त जमा रकम का गबन कर लेने का आरोप लगाये गये हैं।

4. मेरे द्वारा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता मो0 इमरोज तथा अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी श्री पूरन सिंह कैड़ा को सुना गया।

5. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वर्तमान मामले में वादी मुकदमा श्री संदीप नैनवाल पुत्र श्री चन्द्र शेखर नैनवाल सचिव बहुउद्देश्यीय प्रारम्भिक कृषि ऋण समिति मोतिया पाथर द्वारा थाना लमगड़ा जिला अल्मोड़ा की लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 08.07.2018 को थाना लमगड़ा में मु0अ0सं0–24/2018 धारा–409, 420, 467, 471 भा0दं0सं0 बनाम जीवन सिंह बिष्ट तत्कालीन कैशियर व ममता शैलेश शाखा प्रबन्धक अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक लमगड़ा, जिला अल्मोड़ा के विरूद्ध उपरोक्त मुकदमा पंजीकृत किया गया था। मामले में विवेचना उपरान्त आरोप–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा मामले में वर्तमान समय तक 26 गवाहान के बयान अंकित किये जा चुके हैं।

6. वर्तमान मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में कहीं यह कथन नहीं किया गया है कि यह उसका प्रथम जामानत प्रार्थना–पत्र है या द्वितीय, उसके द्वारा इस न्यायालय में पूर्व में कोई जमानत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था या नहीं तथा अभियुक्त का उक्त जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज किया जा चुका है अथवा नहीं। अभियुक्त द्वारा विद्वान अवर न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा–437(6) दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया गया था, जिसमें विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 01.08.2022 को आदेश पारित करते हुए उल्लिखित किया है कि वर्तमान मामले में अभियुक्तगण पर बैंक के कर्मचारी के रूप में कार्य करते हुए किसानों के ऋण के सम्बन्ध जमा धनराशि रू0 44,85,400/– का गबन किये जाने का आरोप है, जिससे किसानों, समिति एवं बैंक को काफी नुकसान हुआ है। वर्तमान मामले में आरोप–पत्र में साक्षियों की फेहरिस्त काफी लम्बी है। जिनमें से 26 गवाह न्यायालय में परीक्षित किये जा चुके हैं तथा बांकी अभियोजन साक्षियों का साक्ष्य अंकित किया जाना है। जिस कारण मामले में साक्ष्य कराने में विलम्ब हो रहा है। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा मामले में साक्ष्य अंकित किये जाने में हुए विलम्ब का एक पर्याप्त कारण दर्शित किया गया है। बैंक कर्मचारी के रूप में कार्यरत रहते हुए अभियुक्त द्वारा कारित उपरोक्त अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः अभियुक्त वर्तमान मामले में धारा–437(6) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है तथा अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

7. अभियुक्त जीवन सिंह द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–106 सन् 2022 निरस्त किया जाता है।

8. इस आदेश की एक प्रति अभियुक्त के अधिवक्ता अविलम्ब निःशुल्क प्रदान की जाये।

9. विद्वान अवर न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान मामले में प्रथमिकता के आधार पर 30 दिन के अन्दर शेष साक्षीगणों का साक्ष्य अंकित करते हुए मामले का निस्तारण करना सुनिश्चत करें।

(मलिक मज़हर सुलतान)
सत्र न्यायाधीश,
अल्मोड़ा।